न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1290

1. धर्मव्रत शास्त्री पुत्र श्री गणपत राम, जाति जाट, निवासी ग्राम चुडैला, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

— अपीलान्ट

बनाम

1. भूमिधारक जरिये तहसीलदार मलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर, जिला झुन्झुनूं निर्णय दिनांक 01.11.2021 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 एल.आर.एक्ट रास्ता संबंधी प्रकरण बउनवानी सरकार बनाम धर्मव्रत व अन्य पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री हरलाल सिंह, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 12.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 01.11.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 22.08.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार मलसीसर ने राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021, कैम्प चुडैला में पटवार मण्डल चुडैला के राजस्व ग्राम दौलतपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 112 व 111 एवं ग्राम चुडैला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 327, 147, 321/729, 321, 318 के कुल रकबे में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबे की भूमि में सार्वजनिक रास्ता है, जो मौके पर चालू हालत में है। उक्त प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में तैयार प्रस्ताव, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी मय मौका रिपोर्ट के अनुसार गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी मलसीसर को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ने राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण के तहत मौके पर रास्तों को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया गया कि पटवार मण्डल चुडैला के राजस्व ग्राम दौलतपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 112 व 111 एवं ग्राम चुडैला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 327, 147, 321/729, 321, 318 के कुल रकबे में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबे की भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद न होने एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे हटवाकर किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज करने तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस को आदेश का भाग रखने एवं गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

में ही रखने तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2021 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी मलसीसर, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 01.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट धर्मव्रत शास्त्री पुत्र श्री गणपत राम ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी मलसीसर, जिला झुन्झुनूं दिनांक 01.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व रिकोर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक आदेश पारित नहीं किया जा सकता, जब तक की उसे सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता। मौजूदा प्रकरण में अपीलार्थी मूल खसरा नम्बर 318 रकबा 0.81 हैक्टेयर, उपरोक्त भूमि का अपीलान्ट काबिज खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान में उपरोक्त भूमि में रास्ते का अंकन होने के कारण भूमि के 3 टुकड़े किये जाकर वर्तमान खसरा नम्बर 932/318 रकबा 0.7800 हैक्टेयर, किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 931/318 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 841/318 रकबा 0.1000 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन वाणिज्यक प्रयोजनार्थ का रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकोर्ड में उपरोक्तानुसार भूमि उनके नाम अंकित है। भूमि पर उनका कब्जा है, तथा भूमि का वो उपयोग व उपभोग करते है, उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थी की फसल खड़ी है, इसके बावजूद उक्त भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये। इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार मलसीसर द्वारा जो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी, वो किसी विधिक आधार पर आधारित नहीं थी, बल्कि राजनैतिक व्यक्ति के प्रभाव में आकर झूठी रिपोर्ट हल्का पटवारी व तहसीलदार से बनवाई थी तथा प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर उपखण्ड अधिकारी मलसीसर से प्रशासन गांवों के संग कैम्प ग्राम पंचायत चुडैला में अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। जबकि नक्शे में जो रास्ता दर्शाया गया है, वहां मौके पर कोई रास्ता नहीं रहा, ना ही मौके पर आज कायम है, इसलिए भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अंकन करते हुए उसके अनुसार निर्णय पारित किया है, जबकि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में कहीं भी यह अंकन नहीं है कि प्रभावित खातेदार को बिना सुने तथा मौके पर बिना कोई रास्ता पूर्व में प्रचलित हुये बिना नया रास्ता कायम करने का कोई प्रावधान नहीं है तथा उक्त सर्कुलर इस आशय से जारी किया गया था कि कोई पुराना प्रचलित रास्ता जो कई ढाणीयों को जोड़ता हुआ, तथा एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता हुआ उसी रास्ते को प्रचलित रास्ता माना गया था, लेकिन उक्त अधिसूचना पत्र को पूर्णतया नजरअन्दाज कर निर्णय पारित किया है तथा राज्य सरकार के उपरोक्त परिपत्र में अंकित तथ्यों व कानूनी स्थिति को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि भूमि खसरा नम्बर 318

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

रकबा 0.81 हैक्टेयर, उपरोक्त भूमि का अपीलान्ट काबिज खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान में उपरोक्त भूमि में रास्ते का अंकन होने के कारण भूमि के 3 टुकड़े किये जाकर वर्तमान खसरा नम्बर 932/318 रकबा 0.7800 हैक्टेयर, किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 931/318 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 841/318 रकबा 0.1000 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन वाणिज्यक दर्शाया गया है वहां कभी कोई रास्ता नहीं रहा। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायलय ने उक्त तथ्य को पूर्णतया नजर अन्दाज कर एक नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर दिये है, जो पूर्णतया औचित्यहीन है। जिसका केवल मात्र उद्देश्य अपीलार्थी की भूमि में से राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अपीलार्थी की खातेदार को समाप्त करना है। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य नहीं थी, जिससे लेसमात्र भी यह प्रमाणित हो कि मौके पर पूर्व से कोई रास्ता प्रचलित रहा हो या वर्तमान में कोई रास्ता आवागमन के रूप में काम आ रहा हो। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से नया रास्ता कायम कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये है, जो पूर्णतया गलत होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का कोई अवलोकन नहीं किया, जिसमें दिनांक 15.12.2016 के बाद उक्त परिपत्र के आधार पर किसी तरह का कोई रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है तथा इसमें यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अन्य खातेदार को किसी खेत में से होकर नया रास्ता कायम करवाना हो तो उसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विधि अनुसार सुनवाई की जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जावेगा। उपरोक्त प्रावधानों के अवहेलना कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि उक्त अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58ए के तहत कोई रिपोर्ट तैयार की जावेगी तो उसकी प्रति संबंधित खातेदार को दी जावेगी तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही निर्णय पारित किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा प्रकरण में हल्का पटवारी तहसीलदार मलसीसर व उपखण्ड अधिकारी मलसीसर, द्वारा उपरोक्त विधिक प्रावधानों को नजर अन्दाज कर अपीलार्थी को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131 व 132 एवं राजस्व अभिलेख नियम 157 के नियम 58, 59, 60 व 86 में भी व्यवस्था दी है। परिपत्र के अनुसार जब तक मूल अधिनियम में परिवर्तन ना हो तब तक उस परिपत्र के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कि जिस पहलू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार ना कर निर्णय देने में भारी भूल की है। अपीलार्थी की भूमि में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा, ना मौके पर कोई रास्ता कायम है, पटवारी हल्का व तहसीलदार ने तहसील कार्यालय में बैठकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की है। जबकि पटवारी गिरदावर या तहसीलदार मौके पर गये ही नहीं, ना ही मौके का कोई नोटिस दिया गया ऐसी स्थिति में निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी की भूमि में से जहां रास्ता कायम किया गया है। वहां अपीलार्थी की फसल खड़ी है, एवं कभी कोई रास्ता न है, न कभी कोई सार्वजनिक रास्ता रहा है। सार्वजनिक रास्ता वह रास्ता होता है जो

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

बारहमासी हो, तथा मौसम ऋतु के अनुसार बदलता नहीं हो, लेकिन अधीनस्थ न्यायलय ने कोई मौका न देखकर अपना निर्णय देने में भारी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वो निर्णय की परिधि में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायलय ने पूर्णतया अविवेचना पूर्ण निर्णय पारित किया गया है। जो पूर्णतया साक्लो स्टाईल निर्णय होने से सरसरी रूप में ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2021 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत माननीय न्यायालय को अपील सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2021 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, दिनांक 19.07.2022 को हल्का पटवारी से जमाबन्दी हेतु सम्पर्क करने पर हल्का पटवारी द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी उपरोक्त भूमि में से 0.03 हैक्टेयर भूमि का उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा दिनांक 01.11.2021 को रास्ते के रूप में अंकन करने के आदेश प्रदान किये तथा उपरोक्त भूमि को 3 टुकडो में विभाजित कर खसरा नम्बर 931/318 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता के रूप में नये खसरा नम्बर अंकित कर किये गये। तत्पश्चात अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 01.11.2021 की जानकारी की तथा दिनांक 20.07.2022 को नकल हेतु उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के न्यायालय में निर्णय व सम्पूर्ण पत्रावली की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिसकी उन्हें दिनांक 20.07.2022 को नकल प्राप्त हुई उसके पश्चात बिना किसी देरी के जयपुर आकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील माननीय न्ययालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। न्यायहित में प्रार्थी की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 318 रकबा 0.81 हैक्टेयर, उपरोक्त भूमि का अपीलान्ट काबिज खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान में उपरोक्त भूमि में रास्ते का अंकन होने के कारण भूमि के 3 टुकड़े किये जाकर वर्तमान खसरा नम्बर 932/318 रकबा 0.7800 हैक्टेयर, किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 931/318 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 841/318 रकबा 0.1000 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन वाणिज्यक भूमि ग्राम चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुन्झूनूं राजस्थान में स्थित है, इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ने बिना प्रकरण में पक्षकार बनाये उनकी उपरोक्त खातेदारी की भूमि में से रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2021 से उनके अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे है। इसलिए उन्हे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। न्याय हित में उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 01.11.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान किया जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय हित में अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा उक्त क्षेत्राधिकार विहिन आदेश व शून्य प्रभावी आदेश से प्रार्थी की भूमि में से खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये है। इसलिए उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष जरिये अपील चुनौती दिया जाकर उसे निरस्त करवाया जाना अत्यन्य आवश्यक है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा पारित उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारी मलसीसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2021 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर, जिला झुंझुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 19.07.2022 को होते ही नकल हेतु दिनांक 20.07.2022 को आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिनांक 20.07.2022 को नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार मलसीसर ने राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021, कैम्प चुडैला में पटवार मण्डल चुडैला के राजस्व ग्राम दौलतपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 112 व 111 एवं ग्राम चुडैला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 327, 147, 321/729, 321, 318 के कुल रकबे में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबे की भूमि में सार्वजनिक रास्ता है, जो मौके पर चालू हालत में है। उक्त प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में तैयार प्रस्ताव, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी मय मौका रिपोर्ट के अनुसार गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी मलसीसर को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ने राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण के तहत मौके पर रास्तों को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया गया कि पटवार मण्डल चुडैला के राजस्व ग्राम दौलतपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 112 व 111 एवं ग्राम चुडैला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 327, 147, 321/729, 321, 318 के कुल रकबे में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबे की भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद न होने एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे हटवाकर किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज करने तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस को आदेश का भाग रखने एवं गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रखने तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2021 पारित किये गये हैं।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमारा विनम्र मत है कि अपीलान्ट राजस्व ग्राम चुडैला पटवार हल्का चुडैला, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 318 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर की पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिसको सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट के खसरा नम्बर 318 के किनारे–किनारे पूर्व से ही रास्ता विद्यमान था तो पुनः खसरा नम्बर 318 के दूसरी ओर से रास्ता कटान की आवश्यकता एवं कहाँ से कहाँ को जा रहा है यह स्पष्ट नहीं है। उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त प्रस्ताव का भी अवलोकन नहीं किया। जिन ग्रामवासियों द्वारा उक्त रास्ते बाबत मौका पर्चा रिपोर्ट में सहमति प्रदान की गयी है वो किस खसरों नम्बरों के खातेदार हैं, का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त रास्ता नक्शे में डोटेड रास्ते के रूप में दर्ज है अथवा नहीं का भी मौका पर्चा में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। तहसीलदार मलसीसर द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते के सम्बन्ध में कोई मौका जांच नहीं की गई है केवल मात्र पटवारी द्वारा तैयार प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर को प्रेषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर, जिला झुन्झुनूं ने प्राप्त रास्ता प्रस्ताव का अवलोकन किये बिना ही व मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2021 पारित किये गये हैं, जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर, जिला झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.11.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर, जिला झुन्झुनूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर, जिला झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.11.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर, जिला झुन्झुनूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर